

91

SC-27  
28/82

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(MISCELLANEOUS JUDICIAL JURISDICTION)

M.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2012 ( Contempt).

Janardan Prasad Singh ----- Petitioner .

Versus

The State of Bihar and others ----- Opposite Parties.

Subject      Contempt

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page
1.	Application under article 215 of the constitution of India.	1 to 6
2. Annexure ---- 1	A Photo copy of order dated 12.5.2011 in C.W.J.C.NO. 5488 of 2007	7-9
3. Annexure ----2 Series	A photo copy of representations .	10
4. Vakalatnama.		

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
( MISCELLANEOUS JUDICIAL JURISDICTION )  
M.J.C.NO.                      of 2012 ( Contempt )  
( Arising out of C.W.J.C.NO.5488 of 2007 order dated 12.5. 2011)

In the matter of an application  
under Article 215 of the  
constitution of India read with  
section 11 and 12 of the contempt of  
court act.

And

In the matter of.

Ianardan Prasad Singh son of Late Adiyya Narain Singh ,  
resident of village Kasimchak Milki, P.O. Ayain Khan, P.S.  
Dulhin Bazar, District Patna.

Petitioner.

Versus

1. State of Bihar.

2. B. Rajendra , the Secretary, Rural works  
Department, Govt. of Bihar  
Development, Visheshwaaraiya  
Bhawan , Patna,
3. Dhramdeo Choudhary ,Engineer-in Chief, Rural Engineering  
Department Visheswaraiya, Bhawan, Patna
4. Ramrup Prasad Singh, District Magistrate, Madhepura,
5. Jitendra Kumar ,District Magistrate-cum-Collector,  
Madhepura.
6. Ram Sevak Mahto, Block Development Officer, Bihariganj  
Block, Bihariganj, Madhepura.
7. Sharwan Kumar , District Provident Fund Officer,  
Madhepura.
8. I.D.S. Dhaliwal ,Accountant General, Bihar, Patel  
Path, Patna.

Opposite Parties.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the chief justice of  
the High Court of judicature at Patna and her companion  
justices of the said Hon'ble court.

The humble petition on behalf of the  
petitioner above named;

Most Respectfully Sheweth;

1. That this application is being filed for initiating a civil contempt proceeding against the contemnors/opposite parties for having committed contempt of this Hon'ble court's-order deliberately by not complying with the order dated 12.5.2011 (Anexure-1) passed in C.W.J.C NO. 5488 of 2007( Janardan Prasad Singh versus the State of Bihar and others ) by the Hon'ble Mr. Justice Rakesh Kumar.

A photo copy of the order dated 12.5.2011 in C.W.J.C.No.5488 of 2007 is annexed and marked as annexure-1 to this application.

2. That the petitioner filed C.W.J.C.No 5488 of 2007 before the Hon'ble court for issuance of an appropriate writ /order/direction to pay the petitioner his retairal dues viz. pension, gratuity, un-utilised leave salary, Group Insurance amount along with G.P.F. amount with interest till the date of authorization by the District Provident Fund Officer concerned or till the date of actual payment.
3. That the Hon'ble Court disposed of the application filed by the petitioner on 12.5. 2011 (Annexure 1)
4. That in light of order dated 12.5.2011 the petitioner filed representation before the opposite parties on 6.6..2011,15.2.2012, 25.7,2012and 7.8.2012 but of no avail.

A photo copy of representation is annexed and marked as annexure -2 series to this petition.

5. That the petitioner filed representation before District Provident Officer, Madhepura on 6.6.2012 but of no avail.
6. That the representation filed by the petitioner has not been disposed off as yet.
7. That the petitioner met the Block Development officer on 11.10.2011 and on 6.1.2012, but all remained unheard.
8. That it is always in the air that the office of the Block Development Office is corrupt.
9. That, the Hon'ble court order has got to be implemented in time, Dilly -dallying in the part of the opposite parties is interference in administration of justice by Hon'ble court.
10. That the opposite parties has knowingly and intentionally disobeyed the order of this Hon'ble court dated 12.5. 2011 and they have committed contempt of this Hon'ble court.

11. That they opposite parties deserve to be placed under the contempt of the court proceeding and they deserve to be suitably punished.
  
12. That the petitioner has not moved this Hon'ble court earlier in the matter of contempt proceeding for disobedience to the order dated 12.5.2011 in C.W.J.C.NO. 5488 of 2007.

it is, therefore, prayed that Your lordships be graciously pleased to admit this petition and issue Show cause to the opposite parties why not a contempt proceeding be drawn against them for disobedience to the order dated 12.5. 2011. in C.W.J.C.NO.5488 of 2007 of this court and upon return of the so cause and after hearing the parties, be pleased to punish the opposite parties suitably, and / or pass any other order or orders as Your lordship may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Janardan Prasad Singh aged about 37 years son of Late Aditya Narain Singh, resident of village – Kasim chak MILKI,, P.O. – Ayain Khan, P.S – Dulhin Bazar, District – Patna, do here by solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and I am fully conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of the above petition have been read and understood by me and the statement made in paras 1 to 10 are true to my knowledge and that of paras 11 to 15 are matters derived from records and rest are submission to this Hon' ble Court.
3. The annexures are true /photo copies of originals.

Janardan Prasad Singh

110/EBN/2007/Ord/40  
SAC

Annexure - 1

7

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
CWJC No.5488 of 2007

Janardan Prasad Singh, Son of Late Aditya Narain Singh, Village-  
Kasimchak Milki, P.O. Ayain Khan, P.S. Dulhin Bazar, District-Patna  
----- Petitioner

Versus

1. THE STATE OF BIHAR through Commissioner and Secretary, Rural Development Department ( Rural Engineering Organization), Visheshwaraiya Bhawan, Patna
  2. Commissioner and Secretary, Rural Development Department ( Rural Engineering Organization), Visheshwaraiya Bhawan, Patna
  3. Engineer-in-Chief, Rural Engineering Organization, Visheshwaraiya Bhawan, Patna
  4. District Magistrate-cum- Collector, Madhepura
  5. Block Development Officer, Bihariganj Block, Bihariganj, Madhepura
  6. District Provident Fund Officer, Madhepura
  7. Accountant General, Bihar, Patel Path, Patna
- Respondents.

03 12-05-2011

Heard Sri Ajay Kumar Gautam, learned counsel for the petitioner and Sri Sanjay Kumar no.2, learned counsel appearing on behalf of Respondent no.7/ Accountant General, Bihar, Patna.

Today again on call, none appeared on behalf of the State, Yesterday (i.e. on 11.5.2011) also, on call none had appeared on behalf of the State. It has been submitted by learned counsel for the petitioner that yesterday he had sent message to learned counsel for the State, even then learned counsel for the State has not bothered to appear in the case.

The present writ petition was filed on 26.4.2007 and till date no counter affidavit has been filed.

In view of the facts and circumstances, the Court is of the opinion that the case relating to retiral dues cannot be kept pending for an indefinite period. The petitioner, who retired with effect from 30.6.2003 as Junior Engineer from Madhepura under the Rural Engineering Organization, has prayed for directing the Respondents to make payment



of all his retiral dues. It was submitted by learned counsel for the petitioner that he is only getting provisional pension till date. Except the provisional pension, all other retiral dues are still pending. Despite the fact that the petitioner even demanded justice before the authority concerned, all efforts of the petitioner went in vein.

Learned counsel for the petitioner, while referring to the averment made in paragraph-12 of the writ petition, submits that neither any departmental proceeding nor any criminal case / judicial enquiry was ever initiated against the petitioner either prior to his retirement or after his retirement.

In view of specific averments made in the writ petition regarding non-pendency of any case, the Court is of the opinion that there was no reason for the Respondent authority to withhold retiral dues of the petitioner for such a long time. Accordingly, the writ petition stands allowed directing the Respondents, particularly Respondent nos.2 i.e. the Commissioner-cum-Secretary, Rural Development Department (Rural Engineering Organization), Patna and Respondent no.5 i.e. the Block Development Officer, Bihatiganj, Madhepura to take all steps to clear all the retiral dues of the petitioner within a period of six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order. After issuance of sanction order from the State authority, Respondent no.7 i.e. Accountant General, Bihar, Patna is required to issue authorization within a period of four weeks from the date of receipt of sanction. Respondent no.6 i.e. the Provident Fund Officer is directed to make payment of Provident fund amount to the petitioner along with admissible statutory interest within a period of one month from the date of receipt/production of a copy of this

order. It is made clear that the petitioner shall be entitled to get interest at the rate applicable to saving account on the aforesaid retiral dues, which is to be calculated till the date of payment. Respondent no.2 shall be at liberty to recover the amount of interest to be paid to the petitioner on the ground of delay from the officer/employee responsible for such delay.

With above observation and direction, the writ petition stands allowed.

NKS/-

Sd/-  
(Rakesh Kumar, J.)

CERTIFIED TRUE PHOTO COPY  
*[Signature]*  
For Joint Registrar (J) 125-11  
Patna High Court  
Subscribed this 7th day of 11/2011

*[Signature]*  
17/5/2011  
9.6/12/2013

कीमा नहीं NOT INSURED

राशि या डाक टिकटों का मूल्य

Amount of Stamps Paid

एक पंक्ति पर

Received a Registered

पत्राचार का नाम

Address to

₹ 27.50

Rs. P.

मूल्य

क्रमांक

No.

दिनांक

Date Stamp

राशि या डाक टिकटों का मूल्य  
Signature of Registered Office

सेवा में

प्रधान सचिव,  
ग्रामोद्योग विभाग,  
बि.कै.घाटी नका पत्ता।

विषय:- माननीय पत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्लू नं० ० सी० नं०-  
3488/2007 अर्थात् प्रकाश सिंह बनाम बिहार सरकार में दिनांक  
12-5-2011 को पारित आदेश।

सहायक

सेवा में नमू निवेदन है कि :-

1. मैं दिनांक 30-6-2003 को ज्योय अभियन्ता, बि.ह.रीमंड प्रवाह,  
किला गधेपुरा से सेवा नियुक्त हुआ।
2. जब मुझे 2007 तक कोई सेवा नियुक्ति लाभ नहीं मिला तब मैंने माननीय  
उच्च न्यायालय पत्ता का दरवाजा हाजिरा किया।
3. ज्यो तब मुझे केवल ज्योय नियुक्ति वेन्चर ही दी गई थी।
4. माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12-5-2011 को पारित आदेश में  
कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश में मुझे कोई सेवा नियुक्ति लाभ  
नहीं मिला।
5. माननीय उच्च न्यायालय पत्ता ने ज्यो आदेश पारित होते ही  
मिम्मे को दर से हटाने की राशि से सेवा नियुक्ति लाभ के आदेश  
दिए तब मैंने का आदेश दिया है।

अतः श्रीमान् के नमू निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा  
पारित दिनांक 12-5-2011 के आदेश का पालन करने की कृपा की जाए।

आज्ञापक

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा  
दिनांक 12-5-2011 को सी०  
डब्लू नं० 0 सी० नं०- 3488/2007  
में पारित आदेश की प्रति।

आप का विश्वास

Handwritten signature and date 12/5/2011

आदेश प्रकाश सिंह  
ज्यो नियुक्ति ज्योय अभियन्ता  
बि.ह.रीमंड प्रवाह ड, गधेपुरा

निवासी पत्ता - 0 7 बि.कै.घाटी  
पत्ता - गधेपुरा, पत्ता - गधेपुरा  
बि.कै.घाटी - पत्ता।

Signature of Receiver  
 Amount of Stamps affixed  
 Received a Receipt  
 Date Stamp  
 Address to  
 1221  
 NOT INSURED

सेवा में

प्रधान मंत्री  
 कार्यालय  
 नया दिल्ली

प्रधान विकास सेवा योजना, बिहार राज्य, मधेपुरा।

विषय:- माननीय पत्नी उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्लू, जे० सी० नं०-5488/2007 जनार्दन प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार में दिनांक-12-5-2011 को पारित आदेश।

महाराज,

सेवा में नमू निवेदन है कि

1. मैं दिनांक 30-6-2003 को लघु अभियन्ता, बिहार राज्य प्रशासन, जिला- मधेपुरा से सेवा निवृत्त हुआ।
2. जब मुझे 2007 तक कोई सेवा निवृत्ति लाभ नहीं मिला तो मैंने माननीय पत्नी उच्च न्यायालय का दरवाजा हाटकाया।
3. अभी तक मुझे केवल अर्धवर्षिक पेन्शन ही दिया गया है।
4. माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12-5-2011 को पारित आदेश में कहा है कि छः सप्ताह के अन्दर मैं मुझे सारे सेवा निवृत्ति लाभ दिए जायें।
5. माननीय उच्च न्यायालय, पत्नी ने अपने आदेश में बहुत धाते में मिलने वाले दर से मुझे जो राशि भी सेवा निवृत्ति लाभ के मुआवजे तक देने का आदेश दिया है।

अतः श्रीमान् से नमू निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12-5-2011 के आदेश का पालन करने को मुझे को जरूर।

आप का विश्वास  
 जनार्दन प्रसाद सिंह  
 सेवा निवृत्त कर्मीय अभियन्ता  
 जिला मधेपुरा, बिहार  
 पी०- झंझार, थाना-बुढोनीबाबा  
 जिला मधेपुरा

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-12-5-2011 को सी० डब्लू जे० सी० नं०-5488/2007 में पारित आदेश को प्रति।

जॉब पर नॉन इन्स्यूर्ड  
 लघुधन धरो डाक टिकटों का मूल्य रु० 27 P.  
 Amount of Stamps affixed Rs. प्रस्त किया  
 एक रजिस्ट्री\* Received a Registered  
 पानेवाले का नाम ..... मोहन मोहन  
 Address to .....  
 पानेवाले अधिकारी द्वारा  
 Signature of Registering Officer

सेवा में

जिला भूमि विधि पदाधिकारी,

मधेपुरा ।

विषय:- माननीय पत्नी उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० संख्या- 5488/2007 जनार्दन पुराड सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 12-5-2011 को पारित आदेश ।

महाराज,

सेवा में नमू निवेदन है कि :-

1. मैं दिनांक 30-6-2003 को कौश अमियन्त बिहार रोज पुराण्ड जिला मधेपुरा से सेवा निवृत्त हुआ ।
  2. मैंने माननीय पत्नी उच्च न्यायालय में सेवा निवृत्ति लाभ के लिए मुक्तियां वापर किया ।
  3. माननीय पत्नी उच्च न्यायालय द्वारा यह मुझे कि सुनवाई 12-5-2011 को की गयी ।
  4. माननीय उच्च न्यायालय ने आपको आदेश दिया कि आप मेरे सभी भूमि विधि राशि का मुआतान एक माह के अन्दर दायित्वी सुद के साथ कर दें ।
  5. माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि मुआतान होने तक मुझे बचत करके मेरे सुद को घर से को मुआतान किया जाय ।
- अतः सेवा में नमू निवेदन है कि निरिपत अवधि में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की कृपा की जाय ।

आप का विश्वास

अनुमोदन:-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-5-2011 को सी० डब्लू० जे० सी० संख्या- 5488/2007 में पारित आदेश को वापस प्रति ।

जामुन 50/1/11  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 मधेपुरा  
 6/6/2011

सेवा में,

महालेखागार,  
ब्रीदपन्द पट्टे ल पक्ष पत्ता, बिहार ।

क्रियः- माननीय पत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-5-2011 को  
सी० डबल जे० सी० न०- 5488/2007 जारी की गई राशि सह बनाम  
बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश।

महाभाग,

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-5-2011 को पारित  
आदेश की पूर्ति संलग्न करते हुए नमूने निवेदन है कि पारित आदेश का  
कार्यन्वय निश्चित अवधि में करने की कृपा की जाए।

आप का विश्वासो

*जादव प्रसाद सिंह*  
6/6/2011

जादव प्रसाद सिंह

सेवा निवृत्त ज्येष्ठ अधिकारी  
बिहार राज, मधेपुरा ।

संलग्नक

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा  
सी० डबल जे० सी० न०-5488/  
2007 में दिनांक 12-5-2011  
को पारित आदेश की पूर्ति ।

निवासी-ग्राम-कालीमठक

पो-रैलाव

क्षेत्र-दुलडीह बाजार

जिला - पटना

रकम **NOT INSURED**  
 Amount of Rs. 2750/-  
 प्राप्त किया गया  
 Received in Register  
 पंजाबी आशु  
 Address to:

₹ 2750/-  
 Rs. 2750/-  
 प्राप्त किया गया  
 Received in Register  
 पंजाबी आशु  
 Address to:

Signature of Register Holder  
 पंजाबी आशु  
 Address to:

क्रमांक  
 No.



**अनिवार्य -**

=====

सेवा में,

**मुख्य अभिज्ञा**

**ग्राह्य अभिज्ञा संगठन बिहार (पटना)**

**विशेष शिवा भवन पटना**

**विषय: - कातब प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में।**

**महाराज,**

**निवेदन है कि मैं आपके विभाग के आदेश के आधार पर**

**24-9-73 को पटना प्रमोशन पटना ग्राह्य अभिज्ञा संगठन कार्य प्रमोशन जलपनपुर**

**में हुआ था। उक्त में 30 जून 2003 को कनोय अभिज्ञा के मद से बिहारोर्म प्रबंध मधुपुरा के सेवा नियुक्त हो चुका है।**

**माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक- 12-5-2011 को पारित आदेश में कहा है कि 1: सप्ताह के अन्दर में इसे उरि सेवा नियुक्त लाभ दे दिये जाये। उक्त आलोक में आरते उरुरोध है कि मुझे अधिकतम कातब प्रोन्नति प्रोन्नति देने को कृपा को जाये धुंकि मुझे एक भी प्रोन्नति नहीं मिला है।**

**मेरी सुपनार्थ रंग आवश्यक करवाई हेतु प्रेरित।**

**संतोषक: -**

**विषयात्मक**

**एड/-बनार्दन गुजार् सिंह**

**माननीय पटना उच्च न्यायालय**

**सेवा नियुक्त कनोय अभिज्ञा**

**द्वारा कोठारु 06/07/07 नु-5468/2007**

**बिहारोर्म प्रबंध, मधुपुरा**

**में दिनांक- 12-5-2011 को पारित**

**आदेश को गया प्रीत ।**



सेवा में,

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा

विषय:- माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० संख्या -  
5488/2007 जर्नादन प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में  
दिनांक 12.5.2011 को पारित आदेश ।

महाशय,

सेवा में नम्र निवेदन है कि :-

1. मैं दिनांक 30.6.2003 को कनीय अभियन्ता बिहारीसंग प्रखण्ड जिला मधेपुरा से सेवा निवृत्त हुआ ।
2. मैंने माननीय पटना उच्च न्यायालय में सेवा निवृत्ति लाभ के लिए मुकदमा दाखल किया ।
3. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा माफ़ी कि मुनवाई 12.5.2011 को की गयी ।
4. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उः सप्ताह के अन्दर मुझे सेवा निवृत्ति लाभ एवं छेपन बालू दिया जाये ।
5. माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि भुगतान होने तक मुझे बत-बात में रुक की दर से भी भुगतान किया जाय ।

अतः सेवा में नम्र निवेदन है कि निम्नलिखित अधि में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक:-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा  
दिनांक-12.5.2011 को सी०  
डब्लू० जे० सी० सं०-5488/2007  
में पारित आदेश की छाया प्रतिलिपि ।

आपका विश्वासी

जर्नादन प्रसाद सिंह  
जर्नादन प्रसाद सिंह 2-877/2011

सेवा निवृत्त कनीय अभियन्ता  
बिहारीसंग प्रखण्ड, मधेपुरा,  
नियोजित जाय- काशीसख  
पौ०- रैनवा  
धाना- कुल्हान बाजार, जिला- पटना ।

AL BUREAU COLLECT  
A KFO403913041N  
Quarter Unit 1, 1st Floor, BINA  
TOD N. BINA  
MADHUPUR, PIN-811111

सेवा में

विकास पदाधिकारी  
बिहारीगंज (मधेपुरा)

सेवांत लाभ, अन्यव्यय एवं मासिक पेंशन के संबंध में  
उच्च न्यायालय के आदेश के पालन करने के संबंध में.



SF BARRI 601104  
EF 2900657451N  
Counter No.1, G-Code:BNOD  
To: B D O, BHWK  
PANDEPURA, PIN: 852113  
FRANCE: JAWAHAR PD BSRM, KAGINJUK  
4446grams,  
Antar: 5.00, 07/08/2012, 11:31  
TANJAVUR 2.75, Tracked on 08/08/2012

रविनाथ निवेश है। मैं अनर्दिन प्रसाद सिंह  
कनिष्ठ अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) (सेवानिवृत्त  
सं. 2003) अपने सेवांत लाभ एवं पेंशन न मिलने के  
द्वारा होत जा रहा है। उच्च न्यायालय का आदेश  
में आया था आदेशानुसार मुझे छः महीने के  
नियमानुसार लाभ दिया जाए आज आदेश पारित  
वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है। मेरी  
जिम्मेदारी अधिक सकल के कारण पूरी नहीं  
रही है। श्रेष्ठियों की शायी अवस्था में एक बच्चे की  
खर्च में मुझे अपनी पैतृक संपत्ति बेचनी पड़ी।  
वर्ष से मैं इस दुआ हूँ। अपनी मुझे तीन और  
श्रेष्ठियों की शायी करनी है। जो बिना अर्थ के सम्भव  
नहीं है।

आज मुझे सेवानिवृत्त हुए पूरे 44 वर्ष से ज्यादा  
का समय हो गया है। लेकिन कार्यलय लापरवाही एवं  
सरकार की देरी के वजह से मुझे परेशानी डहानी पड़ रही  
है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं अपने पारिवारिक  
जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हुआ हूँ। इस वजह से मैं कार्यलय  
(बिहारीगंज प्रखंड) में रहे कर सेवांत लाभ, अन्य व्यय  
एवं पेंशन सम्बन्धित कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरी  
परेशानी के वजह से मुझे परेशानी अब चार-चौर और  
भी बढ़ती जा रही है। मजबूरन मुझे उच्च न्यायालय के  
आदेश का पालन न होते देखे, अवमाननावाद का 1952  
करना पड़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि उच्च  
न्यायालय के आदेश का पालन हो ताकि मैं अपने  
सेवांत लाभ, अन्य व्यय एवं मासिक पेंशन मिल सकूँ।

पुनः संलग्न  
उच्च न्यायालय के आदेश का  
प्रतिलिपि  
(सी. 538/2007)

आपका विश्वासी  
(अनर्दिन प्रसाद सिंह)  
जा. 1/1/12  
सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता  
ग्राम - मारीमचंड  
पो. - हवाल  
तहसील - धुलिनबाजार  
जिला - पटना (801102)

ना. 04-08-2012

अनिवार्य -

शेरा में,

मुख्य विकास पदाधिकारी

बिहार रोग प्रथमधुरा

विषय: -

[1] शेरांत लाभ, अन्य कक्षाएं संवम वारिक रेशन के संबंध में

[2] अन्य व्यापार्य के आदेश के पालन करने के संबंध में।

कहाया,

विनम्र निवेदन है कि मैं जनार्दन प्रताप सिंह शेरा नियुक्त बनाय

की श्रमिता प्रामोण कार्य विभाग, शेरा नियुक्त तिथि दून 2003, अपने शेरांत

लाभ संवम रेशन न मिलने के कारण हताहत होत जा रहा है अन्य व्यापार्य का

आदेश कई 2011 में आया था आदेशानुसार छे उ: उपरोक्त के अन्तर नियमांक

नुसार लाभ दिया जाए आज आदेश पारित एक वर्ष से भी ज्यादा का समय हो

गया है फेरों पारिवारिक जिम्मेदारी आर्थिक संकट के कारण पूरी नहीं हो

रही है बेटों को नानो खाद में संवम कले को पार्स - डिहाई में छे

अनो पैण्ड संवित बेवनी पड़ी संव कई के में हुआ हुआ है अभी छे तान और

केर बेटों को नानो कानो है जो बिना उरी के संभव नहीं है।

आज छे शेरा नियुक्त हुए पूरे एक वर्ष से ज्यादा का समय हो गया

है केर लेकिन कार्यविध लागूवाही संवम सरकार का रेशो के अन्त छे छे परेशानी

अनो पड़ रही है ध्यान देने लाय बात यह है कि मैं अपने पारिवारिक

जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हुआ है इस वजह से मैं कार्यविध बिहार रोग प्रथमधुरा में

रह कर शेरांत लाभ, अन्य कक्षाएं संवम रेशन अनारिन्धत कार्य को पूरा नहीं कर

नाम्ना ।

भारत परेमानों जब धीरे-धीरे जोर भा बढ़ती हुआ रह।  
 महाभारत में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न होते देखे, आमाननावाद का  
 केल करना पड़ेगा अतः आगे अशुभ है कि उच्च न्यायालय के आदेश का  
 पालन ही तार्किक में अपने देवाता लाभ, अन्य बकाया संवम पारितक पैमान मिह  
 रहे ।

सुनः संलग्न

उच्च न्यायालय के आदेश का  
 प्रतिकीर्ण

सी०डी०ए० ३५८/२००७

ता० ०७-०८-२०१२

आमल निश्चाली

इन्दारन प्रजाद सिंह

इन्दारन प्रजाद सिंह

देवा निरुत क्राय अीर्भता

ग्राम- बागोशक

पोस्ट- रनर्षा

धरम- दुई हन बाजार

मि०-१८०११०२

राज्य- बिहार

सेवा में

जिला पदाधिकारी  
मधेपुरा

सेवा लाभ एम पेंशन - चालू करने के सम्बन्ध में



OF BIKRAM COLLEGE

Pin-845104

Counter No. 1, P.O. - GATEWAY

To: D. B. BHAR

MADHEPURA, PIN-845104

From: ANAND PRASAD SINGH, KOLHAPUR

Pin-845104

Date: 07/09/2012, 11:27

For: www.indiapost.gov.in

सविनय निवेदन है कि मैं अनार्दन प्रसाद सिंह  
 2003 की बिहारीगंज प्रकंड से कनिष्ठ  
 यंत्रा (ग्रामीण कार्य विभाग) के रूप में सेवानिवृत्त  
 था। 2007 तक मुझे सेवा लाभ एम पेंशन  
 नहीं हुआ। प्रज्वरण मुझे High Court  
 पड़ा। High Court का आदेश 12-05-2011 को  
 और मुझे 6 सप्ताह के अन्दर उपर्युक्त लाभ  
 त लाभ एम पेंशन मिलने को देने का फैसला  
 2007 से 2011 तक मुझे औपबंधिक पेंशन  
 या अर्थात् 2012 में भी  
 अधिक पेंशन भी सरकार के objection के कारण  
 अटक कर दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन  
 आज एक वर्ष से ज्यादा समय बिता जाने के बाद भी  
 नहीं हुआ है। ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी  
 की भी बिहारीगंज प्रकंड एम पेंशन जिला भविष्यविधि  
 कार्यालय मधेपुरा में भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं  
 हो रही है।

प्रहोषण इस फल आवेदन के पहले भी मैंने  
 आपको निबंधित डाक द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश  
 का प्रतिलिपि एम एक आवेदन प्रेषित करके आपको  
 स्थिति की सूचना दी थी मैं बहुत कठिन आर्थिक  
 स्थिति से गुजर रहा हूँ। मेरी सारी बचतियाँ हैं, जिन्हें  
 मैं सार बचतियों की शर्तियों में मुझे अपनी पैदा  
 क्षमता तक बेचनी पड़ी। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज  
 हो गया है, अपनी परिवार के अन्न-पोषण में मुझे  
 अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं भी अब ज्यादा  
 दोड़-धूप करने में असमर्थ हूँ। प्रज्वरण मुझे  
 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न होते देख,  
 "अवमाननावाद" का एवज करना पड़ेगा  
 अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे

तुरन्त सेवा लाभ एम पेंशन दिया जाए  
 मुन: संलग्न  
 उच्च न्यायालय के आदेश  
 आपका विवासी  
 जामिनीपुत्र  
 गांव- काशीप्रसन्न  
 पोस्ट- एमरा

अनुभवपर -

देवा में,

जिला पदाधिकारी  
मथुरा

विषय: - जिला लाभ रंजन योजना वास्तु करने के सम्बन्ध में।  
महाशय,

श्रीमान विवेक एच डी में जनार्दन प्रसाद सिंह वर्ष 2003 को 1  
बिहार संग्रह प्रकृत के कर्मीय अभिज्ञता प्रमाणन कार्य विभाग के रूप में देवा निवृत्त  
हुआ था 2007 तक उसे जिला लाभ रंजन योजना नहीं हुआ मथुरा में  
हाई कोर्ट आना मथुरा हाईकोर्ट का आदेश 12-05-2011 को आया और उसे  
उत्प्रेषण के अन्दर उपर्युक्त लाभ देवा निवृत्त लाभ रंजन मिलने को देने  
का फैसला वर्ष 2007 के 2011 तक उसे औपबंधिक रेशन दिया जाता रहा उसके  
बाद जाने 2012 तक मथुरा औपबंधिक रेशन भी सरकार के आदेशानुसार के कारण  
बन्द कर दिया गया था हाईकोर्ट के आदेश का पालन आज तक नहीं किया  
जिस वजह से उसे भी नहीं हुआ है ग्रामरगण कार्य विभाग के पत्राचार को  
भी बिहार संग्रह प्रकृत रंजन जिला अधीनस्थ कार्यालय मथुरा ने भी कोई  
प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी रही है।

महोदय इस व आदेश के पहले भी मैं आपको निवेदन द्वारा  
द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का प्रतिक्रिया रंजन एवं आदेश प्रेषित करके  
आपको स्थिति को सूचना दी थी मैं बहुत कठिन आर्थिक स्थिति में गुजर रहा  
हूँ मेरी बात ध्यान में है जिनमें से चार बच्चों को तारीफों में ही अपनी

पेपुल प्रपीत तक वेदनों की भी आर बहुत ज्यादा का हो गया है अपनी  
 वीरवार के भ्रम-बोझा में छुटे जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है में भी  
 अब ज्यादा रोड़- धूआ करमे में आसर्षी हूँ ममभूर न छुटे उच्च न्यायालय के आदेश  
 का मानन न होये केवल, आमाननासद का केत करना पड़ना।

अतः आपसे अनुरोध है कि छुटे सुरक्षित केवत लाभ स्वयं पेशान

मिला जाय।

हुन संलग्न

उच्च न्यायालय के आदेश

का प्रतीतिपि प्रतीतिपि प्रतीतिपि

अ.स. 2007

ता. 07-05-2012

आमका विरदाती

जनार्दन प्रभु सिंह

ग्राम-आमिका

पोस्ट-काला रेन्डा

थाना-श्री.हन बाजार

मिला-पटना, बिहार

पिन-801102